

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पंचवारा जिला दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख
को जारी हुए।

तारीख
हुक्म

शाम लहाण्डू नाम पत्नी लखार
पंचवारा पेशाबड़ी प्रकरण नं० २/१८/२२
विदा जकर वहीबकीर शम्भू पत्नी
गाँव रिपोर्ट सीमा नं० ५५५३ दिनांक २०/०५/२३
का पेशाबड़ी उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पंचवारा (दौसा)

20/04/23

गते आदेश की पालन # दिनांक 25/05/23
अपेश

25/05/23

पंचवारा पेशाबड़ी जकीष शर्मा उपस्थित वकील
शर्मा के प्राप्ति पर वही सुभोयई वकील शर्मा
द्वारा आदेश नं० 126/88 स्कवा 0.4553 वैसरेपर
वोके शाम लहाण्डू की पत्नी शर्मा के कलाने
हेतु निवेदन किया।
प्रकरण का वैसिले के विवरण इस प्रकार है
कि शर्मा शाम लहाण्डू की पत्नी लखार जागते मीना
बिवाही कलाने द्वारा अपनी कलाने का वैसिले
नं० 126/88 स्कवा 0.4553 है। शर्मा लहाण्डू
वहीबकीर शम्भू पत्नी की पत्नी शर्मा के कलाने
हेतु कलाने व शर्मा 128 स्कवा के प्राप्ति
पेश किया प्रकरण की रजिस्ट्रि किया जाये
लखारी आशर्मा कलानी गई हवे वहीबकीर
रामगढ पंचवारा के गाँव रिपोर्ट सीमा नं० 5553
का पेशाबड़ी। तमने प्रस्तुत पेशाबड़ी का
अन्वेषण किया हवे वहीबकीर (नं० 5553)
के प्राप्ति गाँव रिपोर्ट का प्राप्ति प्रमाण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पंचवारा जिला दौसा

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिपियल्स जज
रामगढ पंचवारा रामगढ पंचवारा 01.05.1988

नम्बर
अहकाम
हुकम को
को

विषय वरुडीमदार रामगढ पंचवारा से प्राप्त
गौरी रिपोट के शर्तों के अनुसार नारदशरुभास्की
के लिखित आवेदन (है) नारदशरुभास्की
पर किसी न्यायाधीश का कोई एक्जाम नहीं है
पूर्व के एडवोकेट जन सल्लाह आदेश है। मुवाकिब
रिपोट वरुडीमदार रामगढ पंचवारा के शर्तों
को पल्लरगदी किसे जाने को अडवोकेट
है। विवेक शर्तों का शर्तों का हकीम रिपोट
जाना उचित प्रतीत होता है। अतः शर्तों
का शर्तों का अन्तर्गत धारा 108 एफके एक्जाम
विना जाता है। वरुडीमदार रामगढ पंचवारा
को निर्दिष्ट दिने जाते है कि आप नारदशरु
भास्की के नर 126/88 एफके 01.05.88 है। विवेक
रामगढ वरुडीमदार रामगढ पंचवारा को मुवाकिब
एडवोकेट जन पल्लरगदी कलामा मुनिश्चित करें
वरुडीमदार रामगढ पंचवारा को इल आक्षय
को वरुडीमदार आरी से। पंचवारा के इल शुरुआत के
सम्बर के कर है। नारदशरुभास्की के इल है।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पंचवारा (दौसा)